

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

भगवानसिंह बनाम कलुआ वगै०

किस्म मुकदमा दावा धारा 188 आर.टी.ए. नं०.....14.....सन् 2025

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
09.05.2025	वादी/वादीगण ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत पेश किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 10.06.2025 को पेश हो।	
10.06.25	पत्रावली पेश हुई। उक्त वादी व उक्त वादी अधिवक्ता। कई बार कल-कल कर दावापत्र मागवाई गई कि ई उपर गही दावा उक्त उक्त पत्रावली वादी की उक्त हाजिरी उक्त पेशी के आदेश की जारी हुए पत्रावली किस्तल्युकार होकर नम्बर से कर होकर उक्त उक्त होकर	

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)